



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या - 3336 -अ0प्र0-07/पाकालि/15-22-अ0प्र0-07/15

दिनांक 19/12/2015

### कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा 3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 में निर्दिष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-2608/2011 एवं समविषयक सहबद्ध अन्य अपीलस में दिनांक 27.04.2012 को पारित निर्णय में Ultra Vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.15 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92, दिनांक 21.08.2015 के माध्यम से अंगीकृत किये जाने के उपरान्त पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनांक 15.11.1997 के पश्चात प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0-3196-अ0प्र0-07, दिनांक 07.12.2015 द्वारा भूतलक्षीय प्रभाव से अवर अभियन्ता के पद पर पदावनत किया गया था।

2. उपरोक्त सन्दर्भित कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.12.2015 में वर्णित अभियन्ताओं में से निम्नांकित अवर अभियन्ताओं की चयन हेतु वांछित वार्षिक गोपनीय आख्याओं के सन्तोषजनक तथा सत्यनिष्ठा के प्रमाणित होने की आख्या प्राप्त हो जाने के दृष्टिगत स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से, एतद्वारा सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

### 40% प्रोन्नति कोटा-वैद्युत एव यांत्रिक

| क्र0 सं0 | अभियन्ता का नाम /श्रेणी /प्रोन्नति कोटा/वरि0क्र0 सर्वश्री | पूर्व में आवंटित अभिज्ञान संख्या | कारपो0आ0 सं0-3196-अ0प्र0-07, दि0 07.12.15 के निर्गमन पश्चात् पदनाम | एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गई प्रोन्नति का पदनाम/तिथि | नव आवंटित अभिज्ञान संख्या |
|----------|---|----------------------------------|--|--|---------------------------|
| 1        | 2   | 3                                | 4  | 5  | 6                         |
| 1        | नन्द लाल (अनु0जा0) (प्रो0-40-7569)                        | 2003115                          | अवर अभियन्ता   | सहायक अभियन्ता / 11.05.2012                                  | 20123542003115            |
| 2        | मुरली कुमार आर्या (अनु0जा0) (प्रो0-40-7587)               | 2003127                          | अवर अभियन्ता   | सहायक अभियन्ता / 11.05.2012                                  | 20123552003127            |
| 3        | धर्मेन्द्र आनन्द (अनु0जा0) (प्रो0-40-7647)                | 2005445                          | अवर अभियन्ता   | सहायक अभियन्ता / 11.05.2012                                  | 20123562005445            |
| 4        | शिव प्रकाश आजाद (अनु0जा0) (प्रो0-40-7650)                 | 2005278                          | अवर अभियन्ता   | सहायक अभियन्ता / 11.05.2012                                  | 20123572005278            |
| 5        | रविन्द्र प्रकाश (अनु0जा0) (प्रो0-40-7652)                 | 2005446                          | अवर अभियन्ता   | सहायक अभियन्ता / 11.05.2012                                  | 20123582005446            |
| 6        | सुमाष चन्द्र (अनु0जा0) (प्रो0-40-7709)                    | 2007023                          | अवर अभियन्ता   | सहायक अभियन्ता / 05.06.2012                                  | 20123592007023            |

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में आवंटित अभिज्ञान संख्या इस आदेश के निर्गमनोपरान्त निष्प्रभावी होगी।

प्रबन्ध निदेशक



संख्या :- 3336-अ0प्र0-07/पाकालि/2015/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे शक्ति भवन मुख्यालय एवं सम्बद्ध इकाईयों में तैनात कार्मिकों को अवमुक्त कराते हुए अग्रेतर आदेशों तक अपने कार्यालय से सम्बद्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ, केस्को, कानपुर तथा उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ तैनात कार्मिकों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका सं0-79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्वि-सदस्यीय समिति का यथावांछित अनुमोदन प्राप्त कर, उनकी पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।  
उक्त के अतिरिक्त, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं0-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम/इकाई प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित कार्मिक को कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।
6. समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.15 को अंगीकृत करते हुए निर्गत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2015-3-विनियम/92, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
11. उप सचिव (अ0प्र0-02अ/02ब/03/04/गोपन) उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
13. संबंधित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली।
14. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,  
19/12/15  
(प्रमोद कुमार सिंह)  
उप सचिव